बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

विषयः– डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के शेष 03 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम्स, कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131 (द) के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रैंडिंग साईनेज हेतु स्वीकृत ₹5.05 करोड़ के अधीन कार्य कराने हेतु अलग से निविदा आमंत्रित करने के संबध में।

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के निर्माण कार्य के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (वर्तमान विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) के पत्रांक–1333 दिनांक 07.06.2017 के द्वारा भवनों के निर्माण, प्रदर्श अधिष्ठापन एवं स्थापना व्यय हेतु कुल ₹397.00 करोड़ (तीन सौ सनतानवे करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक–4840 दिनांक 28.12.2023 के द्वारा ₹889.9832 करोड़ (आठ सौ नवासी करोड़ अनठनवे लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निर्माण कार्य (असैनिक कार्य) हेतु जी०एस०टी० एवं मूल्यवृद्धि दर सहित ₹451.4985 करोड़ (चार सौ इक्यावन करोड़ उनचास लाख पचासी हजार रूपये), प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु ₹350.4847 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़ अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार रूपये) एवं कॉरपस फंड के लिए ₹88.00 (अठासी करोड़ रूपये) करोड़ राशि कर्णाकित की गई है।

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना में कुल 05 प्रदर्श गैलरियों का निर्माण किया जाना है। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गैलरीवार प्राक्कलित राशि निम्नवत् है :–

1. बी ए साईंटिस्ट गैलरी – ₹14.18 करोड़
2. बेसिक साईंस गैलरी – ₹76.73 करोड़
3. सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी – ₹83.35 करोड़
4. एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी – ₹76.54 करोड़
5. बॉडी एण्ड माइंड गैलरी – ₹72.80 करोड़

2. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु दिनांक–25.11.2023 को निविदा प्रकाशित की गई। योजना के परामर्शी समूह द्वारा सुझाए गए सम्भावित कार्य एजेंसियों के साथ पटना एवं नई दिल्ली में कई बार प्री–बीड मिटींग की गई। इसके अतिरिक्त प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य से संबंधित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ दिनांक 25.05.2024, 29.05.2024, 20.06.2024 एवं 28.06.2024 को ऑनलाईन प्री–बीड मीटिंग की गई। प्री–बीड मीटिंग में शामिल संभावित कार्य एजेंसियों द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में निविदा में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक 15.03.2024 के मद सं0–108 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार निविदा शर्तों में कतिपय संशोधन किए गए।

साईंस म्यूजियम अधिष्ठापन कार्य से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा डॉलर/यूरो में भुगतान किए जाने, विदेशों में फैब्रिकेशन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शत्–प्रतिशत अग्रिम भुगतान किए जाने, भविष्य में रख–रखाव संबंधी व्यवस्था, बैंक गारंटी की व्यवस्था से संबंधित कई ऐसी शर्तें रखी गई जो

वित्तीय नियमों एवं एस0बी0डी0 (SBD) की शर्त्तों के अनुसार व्यवहारिक नहीं थे। इस प्रकार लगातार प्रयासों के बावजूद निविदा सफल नहीं हो सकी।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य शीघ्र कराने के विषय पर विचार हेतु दिनांक 25.07.2024 को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं भवन निर्माण विभाग की बैठक तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–23.08.2024 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य को 02 भागों में विभक्त (प्रथम भाग में बी.ए. साइंटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साईंस गैलरी को रखा गया है जिसकी समेकित प्राक्कलित राशि ₹90.92 करोड़ है एवं द्वितीय भाग में सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरी, ब्रांडिंग साईनेज एवं अन्य असैनिक कार्य को शामिल किया गया है जिसकी समेकित प्राक्कलित राशि ₹246.91 करोड़ है) कर प्रथम भाग के बी.ए. साइंटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साईंस गैलरी में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु एन.सी.एस.एम. के माध्यम से सी.एम.डी. द्वारा प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु ₹75,09,32,460.00 (पचहत्तर करोड़ नौ लाख, बत्तीस हजार चार सौ साठ रूपये) (NCSM के 05 प्रतिशत सेवा शुल्क एवं 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित) का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में एन.सी.एस.एम. के माध्यम से सी.एम.डी. को प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य का आदेश दिया गया तथा अगस्त 2025 तक कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त सोसाइटी है जो देश में साईंस म्यूजियम अधिष्ठापित करने का कार्य करती है। एन.सी.एस.एम. क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स (CMD) के माध्यम से प्रदर्श अधिष्ठापन का कार्य करती है जो कम्पनीज एक्ट–2013 के अधीन सेक्सन–8 कम्पनी है।

द्वितीय भाग में शामिल 03 गैलरियों यथा–सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरी, ब्रांडिंग साईनेज एवं अन्य कार्य जिनकी कुल प्राक्कलित राशि ₹246.91 करोड़ है, के लिए दिनांक–18.09.2024 को प्रथम निविदा आमंत्रित की गई। इसमें कोई निविदाकार सफल नहीं हुए। द्वितीय बार 19.12.2024 को निविदा प्रकाशित की गई, परंतु इस निविदा में भी कोई निविदाकार सफल नहीं हो सकें।

3. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य की समीक्षा हेतु दिनांक–23.05.2025 को आहूत बैठक में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–2 के द्वारा जानकारी दी गई की एन.सी.एस.एम. के माध्यम से सी.एम.डी. द्वारा प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य की प्रगति संतोषप्रद है तथा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार प्रथम गैलरी बी.ए. साईंटिस्ट के 12 प्रदर्श तथा द्वितीय गैलरी बेसिक साईंस के 35 प्रदर्शों के अधिष्ठापन का कार्य निर्धारित समय तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

4. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के शेष 03 गैलरियों यथा– सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु प्रकाशित निविदा के बार–बार असफल होने तथा प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–03.08.2024 को आहूत बैठक की कार्यवाही की कंडिका–4 (iii) तथा मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–01.10.2024 की मद सं0–35 द्वारा प्रदत स्वीकृति की कंडिका–9 में दिए गए निर्देश के आलोक में उक्त तीनों गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य कराए जाने हेतु एन.सी.एस.एम. से सहमति प्राप्त की गई।

5. एन.सी.एस.एम. के द्वारा 03 गैलरियों यथा–सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु ₹205.44 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है, जो इन 03 गैलरियों के लिए स्वीकृत राशि ₹232.69 करोड़ के अन्तर्गत है। एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन एवं अन्य कार्य हेतु ₹8.412 करोड का प्रस्ताव दिया गया है। यह कार्य प्रथम 02 गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु स्वीकृत राशि से बची हुई राशि ₹15.82 करोड़ के अधीन किया जाएगा। इस

प्रकार NCSM द्वारा प्रस्तावित कुल ₹213.85 करोड़ में से नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) को सेवा शुल्क के रूप में ₹10.69 करोड़ (जी.एस.टी. सहित) मात्र एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता को ₹203.15 करोड (जी.एस.टी., लेबर शेष, वाटर चार्ज सहित) मात्र का भुगतान किया जाएगा।

6. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ दिनांक–23.05.2025 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप ब्रैंडिंग साईनेज हेतु स्वीकृत ₹5.05 करोड़ के अधीन कार्य कराने हेतु अलग से निविदा आमंत्रित किया जाएगा।

7. नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स द्वारा प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित विस्तृत निरूपण के अनुसार किया जाएगा।

8. नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 03 गैलरियों यथा–सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरियों एवं एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 30 माह में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्येक गैलरी में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु स्थिति एवं परिस्थिति के अनुरूप 04 माह का अवधि विस्तार दिया जा सकेगा। एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन का कार्य दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण किया जायेगा।

9. प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन अवशेष राशि से आवश्यकतानुसार भवन निर्माण विभाग विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सहमति से गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन से संबंधित अतिरिक्त कार्य नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स द्वारा करा सकेगी।

10. नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरियों एवं एट्रियम में प्रदर्शों एवं ऑडियो–विजुअल सिस्टम के विस्तृत डिजाईन, फैब्रिकेशन, आपूर्ति, अधिष्ठापन, परीक्षण एवं क्रियान्वित करने हेतु जिम्मेवार होगी। प्रदर्शों के निर्माण एवं अधिष्ठापन से संबंधित सभी तकनीकी विशिष्टियों तथा मानकों के निर्धारण की जिम्मेवारी क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता की होगी जो इस कार्य के लिए ओरिजनल इक्यूपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) माने जाएंगे।

11. नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) द्वारा भुगतान हेतु निम्नांकित प्रस्ताव दिया गया है जिसके अनुसार उनके द्वारा प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य को क्रियान्वित किया जाएगा :–

(क). एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने के उपरांत 07 दिनों के भीतर एन.सी.एस.एम. द्वारा उद्धृत राशि ₹213.85 करोड का 20 प्रतिशत यानि ₹42.77 करोड़ का भुगतान एन.सी.एस. एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

(ख). भवन निर्माण विभाग एवं विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समिति द्वारा प्रथम फेज के प्रदर्शों के लिए शॉप ड्राईंग एवं विशिष्टियों के अनुमोदन के उपरांत द्वितीय किश्त के रूप में कुल लागत का 30 प्रतिशत यानि ₹64.15 करोड़ का भुगतान प्रो राटा के आधार पर एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

(ग). 03 गैलरियों यथा– सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु शॉप ड्राईंग, विशिष्टियों के अनुमोदन एवं प्रदर्श के वास्तविक अधिष्ठापन के उपरांत तृतीय किश्त के रूप में कुल लागत राशि का 30 प्रतिशत यानि ₹64.15 करोड का भुगतान प्रो–रेटा के आधार पर एन. सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

(घ). 03 गैलरियों यथा–सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरियों एवं एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन एवं हस्तानांतरण के उपरांत लागत राशि का शेष 20 प्रतिशत यानि ₹42.78 करोड का भुगतान एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

12. उपर्युक्त के आलोक में डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साईस सिटी, पटना के शेष 03 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईस म्यूजियम्स, कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131 (द) के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रैंडिंग साईनेज हेतु स्वीकृत ₹5.05 करोड़ के अधीन कार्य कराने हेतु अलग से निविदा आमंत्रित किया जाएगा।

13. प्रस्ताव पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (प्रशासी विभाग) तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

14. उक्त कंडिका–12 के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–02.09.2025 की बैठक में मद संख्या–14 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8/9/25

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भ0/मु0अ0(प0)यो0विविध–8–181/2016(अंश–2) 8578 (भ) पटना, दिनांक– 12/9/25

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की पाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

8/9/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– भ0/मु0अ0(प0)यो0विविध–8–181/2016(अंश–2) 8578 (भ) पटना, दिनांक– 12/9/25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/9/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– भ0/मु0अ0(प0)यो0विविध–8–181/2016(अंश–2) 8578 (भ) पटना, दिनांक– 12/9/25

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/मा. मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/ मुख्य वास्तुविद्/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/आन्तरिक वितीय सलाहकार/निरुपण उपभाग, निदेशक, अनुश्रवण/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल/दक्षिण बिहार अंचल/उप निदेशक–1 एवं 2 अनुश्रवण एवं कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–2/पटना भवन प्रमंडल एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/9/25

सरकार के सचिव